

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम (छ.ग.)

—: संशोधित विविध आदेश :-

क्रमांक क/एक-11-1/2008

कबीरधाम, दिनांक 09.09.2025

इस कार्यालय स्थापना पर कार्यरत न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों की अनुपस्थिति में व अवकाश में प्रस्थान करने पर उनके न्यायालय का आवश्यक सिविल कार्य सम्पादित किये जाने के संबंध में पूर्व में जारी किये गये कार्यालय के विविध आदेश क्रमांक क/एक-11-1/2008 कबीरधाम दिनांक 28.03.2025 को संशोधित कर निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है, जो तत्काल प्रभावशील होगा :-

पीठासीन अधिकारियों की अनुपस्थिति में अवकाश में प्रस्थान करने पर सत्र न्यायालयों का आवश्यक सिविल कार्य एवं आपराधिक कार्य एवं अधीनस्थ अन्य न्यायालयों के सिविल कार्य उनके पदनाम के समक्ष दर्शाये गये न्यायाधीशों द्वारा किया जावेगा एवं साथ ही इस आदेश के अन्त में वर्णित टीप पर भी ध्यान दिया जावे :-

1.	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम (कवर्धा)	पीठासीन न्यायाधीश की अनुपस्थिति में न्यायालय का आवश्यक कार्य जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के अति. न्यायाधीश कवर्धा द्वारा किया जावेगा। उपरोक्त दोनों की अनुपस्थिति में उनके न्यायालय का आवश्यक कार्य जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश कवर्धा द्वारा किया जावेगा। उपरोक्त तीनों की अनुपस्थिति में उनके न्यायालय का आवश्यक कार्य जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के द्वितीय अति.न्यायाधीश कवर्धा द्वारा किया जावेगा। उपरोक्त चारों की अनुपस्थिति में उनके न्यायालय का आवश्यक कार्य जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), कवर्धा के द्वारा किया जावेगा। उपरोक्त पांचों की अनुपस्थिति में उनके न्यायालय का आवश्यक कार्य प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी कवर्धा द्वारा किया जावेगा। उपरोक्त छः की अनुपस्थिति में उनके न्यायालय का आवश्यक कार्य तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी कवर्धा द्वारा किया जावेगा। उपरोक्त सातों की अनुपस्थिति में उनके न्यायालय का आवश्यक कार्य चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी कवर्धा द्वारा किया जावेगा। उपरोक्त आठों की अनुपस्थिति में उनके न्यायालय का आवश्यक कार्य व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी के न्यायालय के प्रथम अति. न्यायाधीश कवर्धा द्वारा किया जावेगा।
2.	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, कवर्धा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश	पीठासीन न्यायाधीश की अनुपस्थिति में उनके न्यायालय का आवश्यक कार्य जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश कवर्धा के द्वारा किया जावेगा। उपरोक्त दोनों की अनुपस्थिति में उनके न्यायालय का आवश्यक कार्य जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश

[illegible]

[illegible]

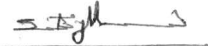
[illegible]

टीप : सिविल जिला कबीरधाम (कवर्धा) में पदस्थ व्यवहार न्यायाधीशगण को निर्देशित किया जाता है कि जब कभी-भी वे अवकाश लेवें तो यह सुनिश्चित कर लें कि एक व्यवहार न्यायाधीश मुख्यालय में आवश्यक रूप से उपस्थित रहे।

माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 14754/डी. एण्ड ए./2023 बिलासपुर दिनांक 08.11.2023 के निर्देशानुसार न्यायिक अधिकारी की अनुपस्थिति व अवकाश में प्रस्थान करने पर उनके स्थान पर उपर्युक्त निर्दिष्ट न्यायालय (जिसे लिंक न्यायालय कहा जायेगा), न्यायालय के अत्यावश्यक सिविल/आपराधिक मामलों की सुनवाई करेगा, बल्कि यदि संभव हो तो उन मामलों की भी सुनवाई करेगा जिनमें गवाह अपनी गवाही दर्ज कराने आये हैं और यदि संभव नहीं हो तो उस न्यायालय की ज्यूडिशियल डायरी पर विचार करके न्यायिक अधिकारी के उपस्थित होने की तारीख से 03 दिवस के भीतर की तारीख दी जायेगी तथा आधिकारिक साक्षी को छोड़कर अन्य गवाहों को पाबंद किया जायेगा।

माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर के शुद्धि पत्र क्रमांक 15250/डी. एण्ड ए./2023 बिलासपुर दिनांक 23.11.2023 के निर्देशानुसार अत्यावश्यक मामलों एवं जिन मामलों में गवाह अपनी गवाही दर्ज कराने आये हैं, के अलावा न्यायालय के सभी सिविल एवं आपराधिक मामलों की सुनवाई लिंक न्यायिक अधिकारी द्वारा किया जावेगा। यदि किसी कारण से लिंक न्यायिक अधिकारी के लिये मामले की सुनवाई करना संभव नहीं है तो उस न्यायालय के ज्यूडिशियल डायरी पर विचार करके संबंधित न्यायिक अधिकारी के उपस्थित होने की तारीख से 03 दिवस के भीतर की तारीख दी जायेगी तथा प्रकरण जिस उद्देश्य के लिये पहले से ही सूचीबद्ध है, नियत किया जायेगा। किसी भी स्थिति में न्यायालय के रीडर द्वारा मामले स्थगित नहीं किये जायेंगे।

माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 15520/डी. एण्ड ए./2023 बिलासपुर दिनांक 29.11.2023 के निर्देशानुसार न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के दीर्घावकाश (ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अवकाश) में होने पर न्यायालय में लंबित एक्शन प्लान के प्रकरण यथा 05 वर्ष से अधिक अवधि से लंबित सिविल, आपराधिक एवं निष्पादन प्रकरण तथा एक्शन प्लान के प्रकरण यथा मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित मामलों की सुनवाई उनके स्थान पर निर्दिष्ट अन्य पीठासीन अधिकारी/नियुक्त लिंक ऑफिसर के द्वारा की जायेगी।


(सत्यभामा अजय दुबे)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कबीरधाम (कवर्धा)